

7219

कुल मूल्य - 1,20,000/-

7/40

1000Rs.



कांताका - 1987 की धारा
 जो भारत में और बाहर के देशों में
 की अचल व संपत्ति का मूल्य
 यथावत स्थायी रूप से
 नगरीय विभाग के द्वारा
 नहीं है।
 6/9/04

इसका मूल्य 6.94 रु के मुताबिक 1239.44 रुपये का है।
 निबंधन पदाधिकारी
 6.9.04
 13/6/04
 20/5/04

4900/-
 शुद्ध

:- बिक्रय पत्र केवाला दस्तावेज :-

AGD - 1200.00
 MCO 36.00
 1236.00
 Sdr 250
 PR 94
 3.44
 1239.44
 6/9

बिक्रेता :- श्रीमती नीलम सिंह पति श्री बिनोद कुमार सिंह, जाति-
 भूमिहार, पेशा-गृहिणी, मौ०-तेलीपाड़ा हीरापुर, थाना वो जिला-धनबाद,
 वर्तमान सा किम-न्यु बरगंडा, थाना वो जिला-गिरीडीह, के तरफ से
 आम-मौक्तार श्री भागीरथ महतो पिता श्री रामधन महतो, जाति-
 तेली, पेशा-व्यवसाय, सा किम-हरीयाड़ीह, थाना गो बिन्दपुर, वर्तमान
 थाना-बरवाअड्डा, जिला-धनबाद को निबंधन कार्यालय गिरीडीह, जिला-
 गिरीडीह के द्वारा आम-मौक्तार नामा के दलिल नुं०-IV/211 दि०-
 11.05.2004, के द्वारा प्राप्त हुआ है।

011724/04.

Any

1661/04-05
Smt. Karpura Gupta,
Chiragona Dhandra

4400/- (1000 x 4 + 100 x 4)
26/8/14

मागीरथ महता
619/04

दिनांक 6-9-04. 101.
 200/- को _____ को _____ में जिला प्रथम विभाग
 में उपस्थित, धनबाद में स्वेच्छापूर्वी, दाखलार को जिला प्रथम
 द्वारा धारणीयत मुद्रांकन _____ 200/- को प्रमाण
 प्रमाणित या दाखलार में _____ मागीरथ महता
 प्रमाणित का नाम _____ श्री कृष्ण महता
 _____ श्री कृष्ण महता
 _____ ने प्रमाणित _____

प्रमाणित पदाधिकारी का हस्ताक्षर _____ उपस्थित का हस्ताक्षर _____



6-9-04

जन्मदिन की _____ मागीरथ महता

ने निम्नकी पहचान की: श्री कृष्ण महता
 पिता श्री कृष्ण महता
 एक ही काम परी ने सकारित कि जहाँ दस्तावेज
 निश्चित की है।

31
749/04



मागीरथ महता
619/04

प्र
 निबंधन पदाधिकारी
 धनबाद
 6-9-04



श्रीमती कल्पना
५०१६/१९

:- 2 -:

क्रेता :- श्रीमती कल्पना गुप्ता पति श्री राजकुमार साव, जाति-तेली, पेशा-गृहणि, स्थाईसाकिम वो पोण-लक्ष्मीपुर, थाना-लक्ष्मीपुर, जिला-जमुई । वर्तमान साकिम-वीरागोड़ा रामसान रोड़ धनबाद, थाना वो जिला- धनबाद १ भारतीय १ ।

बिक्रय पत्र १ केवाला दस्तावेज १ ।

मूल्य-1, 20, 000/- १ एक लाखबीस हजार रुपया १ मात्र ।

सलाना मालगुजारी-50 पैसा १ पचास पैसा १ मात्र ।

वर्तमान मालिक जमीन्दार झारखण्ड सरकार ।

अंचल कार्यालय गौबिन्दपुर ।

तफ्सील सम्पत्ति :- जिला चौकि सदर निबंधन कार्यालय धनबाद, थाना-गौबिन्दपुर वर्तमान थाना-बरवाअइडा अन्तर्गत मौजा-सुसनीलेवा में कायमी



सागर प्रभ सहवा
6/9/04

: - 3 - :

रैयती स्वत्व का खास खरीदा जमीन, मौजा नं०-88, खाता नं०-02 दो
सा मिल प्लोट नं०-306, 307, 308, 309, 310, और 311, नया
प्लोट नं०-207, 208, 209, कुल छः प्लोट बाईद, कुल रकवा में से
रकवा-05 $\frac{1}{2}$ फन - कदवा यानि-9.09 डिसमिल जमीन इस दस्तावेज
द्वारा आपको बिक्री किया, जो इस दस्तावेज के साथ दिये गये नक्शा
में लाल रंग से दर्शाया गया है। जिसका जमावंदी संख्या-462 एवं
468 में वसूल होता है।

जिसका चौहद्दी :- 30- रोशन लाल साव एवं प्लोट नं०-312,
द0- रूबी गुप्ता,
पु0- प्लोट नं०-305, और
प0- सड़क।




शांतिराज महल
6/9/04

:- 4 -:

उक्त चौहद्दी मुताबिक $05\frac{1}{2}$ कट्ठा यानि 9.09 डि० जमीन इस दस्तावेज द्वारा आपको बिक्री किया ।

उक्त सम्पत्ति धनबाद निबंधन कार्यालय में निबंधित किया हुआ केवाला दलिल नं०-3538 द्वारा दिनांक-26.6.02 साल में नासिर मियाँ से वो केवाला दलिल नं०-3219 द्वारा ई० दिनांक-12.6.02 को तपन कुमार भट्टाचार्य से 01 नं० बिक्रेता के नीज नाम से खरीदा सम्पत्ति है, उक्त सम्पत्ति हमलोग के खास दखली सम्पत्ति है ।



सागरजी महल
6/9/04

:- 5 -:

उक्त सम्पत्ति हस्तान्तरण हेतु शहरी भू-हदबन्दी अधिनियम 1976 की धारा 26(1) के अन्तर्गत अपर समाहर्ता धनबाद के ज्ञांपाक -1559 दिनांक 21.3.04 के द्वारा बिक्री करने का अनापत्ति प्राप्त हुआ है ।

चुंकि बिक्रय पत्र बिबरण यह है कि हमलोगो को संसारिक खर्च के लिए रुपये कि अति आवश्यकता आ जाने के उक्त जमीन का समयोचित सर्वोच्च मूल्य -1,20,000/- रुपये धार्य कर आपको बिक्री कर सदा के लिए निःस्वत्त्व हुए एवं आपको दखलकार किया तथा दखल दिया ।

उपरोक्त जायदाद पर हमलोगों का जिस प्रकार का हक-अख्तियार दावी दावा आदि था, आज तारिख से आपका हुआ आप उक्त जायदाद पर मकान आंगन कुंआ बगान-बगिचादि तैयार कर नीज वसवास या किराया



महाराज महल
5/9/24

:- 6 -:

बन्दोबस्त कर अपना ईच्छानुसार दान बिक्री आदि सर्वप्रकार के हस्तान्तरण का मालिक होकर वंश परम्परा में पुत्र-पोत्रादि एवं वारीसन के साथ सदा के लिए भोग दखल करते रहे इसमें हमलोग या हमलोगों के वारीसन किसी प्रकार का वजुर या एतराज नहीं कर सकता है और करने पर भी वह कानून के मुताबिक नां-मंजूर होगा ।

उपरोक्त जायदाद का सलाना मालगुजारी मालिक जमींदार झारखण्ड सरकार को बराबर आदाय देकर आप अपने नाम से दाखिल-खारीज करवा कर सलाना मालगुजारी का रसीद हासिल करेंगे ।




सागरथ महल
6/9/04

:- 7 -:

उपरोक्त जायदाद हमलोगो का दखल में है कभी किसी प्रकार का हस्तान्तर आदि नहीं किया हुआ है अगर भविष्य में किसी प्रकार का दाय संयोग या हस्तान्तर आदि पाया जाय और उससे आपको या आपके वंशज को क्षति पहुचे तो हमलोग या हमलोगों के वारीसन क्षति पुरण का देनदार होगा या होंगे ।

अतः हमलोग अपना-अपना स्थिर बुद्धि और सरल मन से बिवार कर मूल्य का पुरा रूपये पाकर एवं समझ-बुझकर यह बिक्रय-पत्र तस्पादन कर दिया कि समय पर काम आवें । ईति दिनांक - 30.08.2004 साल ।



सागीरथ सहनी
6/9/24

-- 8 --

दस्तावेज का प्रारूप बनाया एवं दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया एवं समझा दिया।

सागीरथ सहनी कार नं० १/१६-२६

:- गवाहगण :-

प्रमाणित किया जाता है कि मूल

दस्तावेज एवं द्वितीयक प्रति एक §1§

दुसरे कि हुबहु और सच्ची -

प्रतिलिपि है।

सागीरथ सहनी
6/9/24

अशोक सहनी
अमरावती

दस्तावेज
30/8/24


§2§

शशीरथ शर्मा
मैमका माड

500Rs.



भारत
4016/3
Non-Judicial



004649/04

[Handwritten signature]

13027
 SOLD TO: *Shri Kalpana Chinnogang*
 OF: *Ampla No R.K. Saw*
 VALUE TO: *500*
 THROUGH: *Om*
 SERIAL NO. OF STAMP NO. 1

AMANDA DUBAL CHATTAR
 STAMP VENDOR AMBABAD
 L. No-16/1971-72



[Vertical handwritten text, possibly 'AMANDA DUBAL CHATTAR']



[Handwritten initials]
 6-9-2

[Handwritten numbers and text]
 160
 51-60
 71402004
 6-9-2
 69.04